तीन तलाकः मुश्किलों से मिली मुक्ति

आर के सिन्हा

जहां ज्यादातर मुसलमान मर्द तीन तलाक को जारी रखने के हक में थे, वहीं औरतें इसका भारी विरोध कर रही थीं। भारत की 92.1 फीसदी मुसलमान महिलाएं फटाफट होने वाले मौखिक तलाक पर रोक लगवाना चाह रही थीं। ये आकड़े एक सर्वे के बाद भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) नाम के एक संगठन ने जारी किए थे। न्यायालय के इस आदेश से बेशक इन औरतों की मुराद पूरी हो गई है, लेकिन इन्हें अब भी इस बाबत एक ठोस कानून का इंतजार है

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है। इस फैसले ने मुसलमान औरतों को तीन तलाक (तलाक-ए-बिदअत यानी एक साथ तीन तलाक) की बर्बर कुप्रथा से मुक्ति दिलवा दी है। फ़ैसले में तीन तलाक पर केंद्र सरकार को छह महीने के भीतर संसद से कानून बनाने का भी आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान तीन तलाक पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन तलाक को 3-2 के बहुमत से असवैधानिक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास से सबक लिया और 1986 में शाह बानो के गुजारा भत्ता वाले मामले में याचिकाकर्ता की अपील स्वीकार कर तीन तलाक पर अपनी ओर से कोई अंतिम फैसला न देकर इसको संसद पर छोड़ दिया था। हां, अपना मंतव्य जरूर जाहिर कर दिया। कुल मिलाकर यह तय हो गया कि देश में अब तलाक की इस कुप्रथा का अंत हो गया। बताने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने का भरोसा दिया था।

जीती मानवता

कहते हैं कि न्याय अंधा होता है। वरना न्याय की देवी की दोनों आंखों पर पट्टी नहीं बंधी होती। इसका पता चल गया। हालांकि, कई कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन तीन तलाक को जारी रखने की पुरजोर वकालत भी कर रहे थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुसलमान औरतों को जीवनदान दे ही दिया। इस फैसले के आने से पहले तक यह कहा जा रहा था कि तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही यह तय हो जायेगा कि मानवता जीतती है या सांप्रदायिकता और अमानवीयता।

सुप्रीम कोर्ट के पांच में से तीन जजों न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ, न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन और न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने तीन तलाक को पूरी तरह असंवैधानिक करार दिया। वहीं मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर ने इसे कुरान सम्मत न मानते हुए भी लंबे समय से प्रचलन में होने के चलते धर्म का हिस्सा मानते हुए हस्तक्षेप योग्य नहीं माना। इस पर तीनों जजों ने मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की राय का विरोध किया। तीनों जजों ने तीन तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया। जजों ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। इस फैसले का मतलब यह है कि कोर्ट की तरफ से इस व्यवस्था को बहुमत के साथ खारिज किया गया है। कोर्ट ने मुस्लिम देशों में तीन तलाक पर लगे रोक का जिक्र किया और पूछा कि भारत इससे आजाद क्यों नहीं हो सकता? कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद को इस मामले पर कानून बनाना चाहिए। कोर्ट ने कानून बनाने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है।

पाप है तीन तलाक

मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर ने अल्पमत में दिए फैसले में कहा कि तीन तलाक लंबे समय

लेखक राज्य सभा सदस्य और संवाद समिति हिन्दुस्थान समाचार के अध्यक्ष हैं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन पत्रकारिता के माध्यम से आरंभ किया और आपातकाल के दौरान छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़ गये। तब से लगातार राजनीति में हैं। ईमेल: rkishore.sinha@sansad.nic.in

गौरतलब है कि न तो कुरान में तलाक का प्रावधान है, न ही हदीस में। हां, कुरान में अवश्य एक स्थान पर कहा है कि अल्लाह को जिन चीजों से नफरत है उसमें तलाक सबसे ऊपर है। न तो रसूल ने और न ही किसी नबी ने अपनी किसी बीबी को तलाक दिया।

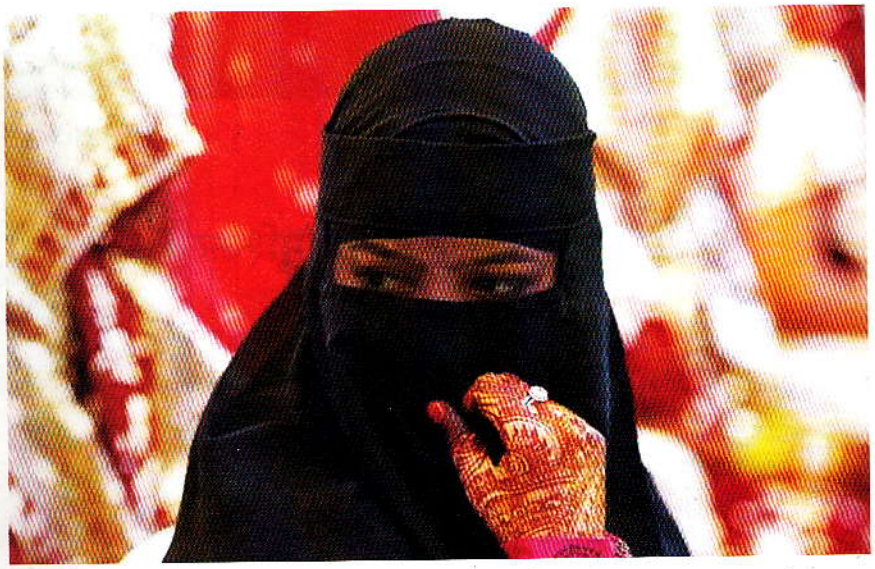

से धर्म से जुड़ा मामला है, इसलिए न्यायालय इसमें दखल नहीं देगा। हालांकि दोनों जजों ने यह भी माना कि यह पाप है, इसलिए सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और तलाक के लिए कानून बनाना चाहिए। निर्विवाद रूप से केन्द्र सरकार अब मुसलमान औरतों के हक में सशक्त कानून लेकर आएगी।

मुसलमान औरतों के शत्रु कौन

जब मुसलमान औरतों को तीन तलाक से मुक्ति दिलवाने की मुहिम चली तो अपने को मुसलमानों का रहबर और रहनुमा कहने वाले मुस्लिम नेता ही विरोध करने लगे। ये लोग पत्रकार वार्ता कर कह रहे थे कि वे सरकार की ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। इनके पत्रकार सम्मेलनों में पुरुष तो भरे होते थे, पर कोई औरत नहीं होती थी। ये मुसलमान औरतों को आज भी मध्ययुगीन काल में ही रखना चाहते हैं। तीन तलाक के मसले पर सरकार के प्रगतिशील रुख का ये विरोध कर रहे थे।

जिन दिनों तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी तब मुझे एक दिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य मिल गए। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। एक, तीन तलाक कानून में बदलाव से आपकी ही बेटियों को और अधिकार हासिल होंगे, इससे किसी हिन्दू का क्या लेना-देना? दूसरा, अगर तमाम मुस्लिम देशों ने इस कानून को खत्म कर दिया है और इसमें उनका इस्लाम आड़े नहीं आया तो फिर आपको यह कैसे लगता है कि इससे इस देश में मुस्लिमों के अधिकारों या उनके धर्म पर कोई आंच आयेगी? इन सवालों के वे जवाब नहीं दे सके। बिना बात की बहस में उलझे रहे। यदि यह कौम अब तक अंधेरे से निकल नहीं पाई तो उसका सबसे बड़ा कारण इनके तथाकथित नेता ही हैं।

गौरतलब है कि न तो कुरान में तलाक का प्रावधान है, न ही हदीस में। हां, कुरान में अवश्य एक स्थान पर कहा है कि अल्लाह को जिन चीजों से नफरत है उसमें तलाक सबसे ऊपर है। न तो रसूल ने और न ही किसी नबी ने अपनी किसी बीबी को तलाक दिया। हां, एकाध को जब अपनी बीबी से मतभेद हुआ तो उसने उस बीबी को किसी अलग मकान में रख दिया। सारे सुख-सुविधा के इंतजाम किये।

शादी, तलाक और गुजारा भत्ता के लिए कोई सही नियम नहीं होने की वजह से अधिकतर मुसलमान औरतों को बदतर जिंदगी बितानी पड़ती रही है। कोई माने या न माने, पर मुसलमान औरतों के हक में मुस्लिम समाज का रुख वास्तव में बहुत ही भेदभावपूर्ण रहा है। अब निश्चित रूप से हालात बदलेंगे। जहां ज्यादातर मुसलमान मर्द तीन तलाक को जारी रखने के हक में थे, वहीं औरतें इसका भारी विरोध कर रही थीं। भारत की 92.1 फीसदी मुसलमान महिलाएं फटाफट होने वाले मौखिक तलाक पर रोक लगवाना चाह रही थीं। ये आंकड़े एक सर्वे के बाद भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) नाम के एक संगठन ने जारी किए थे। न्यायालय के इस आदेश से बेशक इन औरतों की मुराद पूरी हो गई है, लेकिन इन्हें अब भी इस बाबत एक ठोस कानून का इंतजार है।

एक सख्त कानून बनाना होगा जिससे इनके हक स्थायी रूप से सुरक्षित रहें। कानून ऐसा हो जिससे मुस्लिम महिलाएं एक अच्छी जिन्दगी जी सकें। नवंबर में शुरू होने वाले संसद के शरदकालीन सत्र में ही यह विधेयक पारित करके सरकार को यह सिद्ध करना चाहिए कि वह सभी महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए संकल्पित है। ❑